

जारी श्री युगाप
10.07.20

संख्या-400/15-8-2020-2005(9)/2018

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8

दिनांक: 10 जुलाई, 2020

विषय:- राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में दिशा निर्देश/नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-शिविर/2996/2020-21 दिनांक 08.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में नीति निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर "शिक्षक दिवस" के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकगण को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार-2016 तक मानव संसाधन मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप चयन की कार्यवाही की जाती थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार-2017 से पूर्व निर्धारित व्यवस्था को संशोधित करते हुए आन-लाईन आवेदन किये जाने तथा चयन के संबंध में प्रक्रिया/मानदण्ड निर्धारित किये गये। फलस्वरूप प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिये शिक्षकगण का चयन किये जाने हेतु नीति/प्रक्रिया/मानदण्ड निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पायी गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु उनके चयन के संबंध में संलग्नक-1 के अनुसार दिशा निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- राज्य अध्यापक पुरस्कार का चयन आन-लाईन वेब-साइट <http://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in//> पर प्राप्त कर संलग्नक-1 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन चयन की कार्यवाही की जायेगी।

Ans.

5- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में तथा शैक्षिक सत्र-2020-21 में कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में सलग्नक-1 के बिन्दु-4 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः माध्यमिक शिक्षा विभाग में राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

सलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(आशा रानी शुक्ला) 10/07/20
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०। (द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०)
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०)
- 3- अपर शिक्षा निदेशक(मा०)/राजकीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। (द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०)
- 6- उपशिक्षा निदेशक, (संस्कृत) प्रयागराज।
- 7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०। (द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०)
- 8- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/14/2020-सी०एकरा(1) दिनांक-09.07.2020 के सन्दर्भ में।

10/07/20

आशा रानी
(ए०पी० निपाटी)
संयुक्त सचिव।

राज्य अध्यापक पुरस्कार चयन हेतु गाईड लाइन्स

1. राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान करने हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टर कालेजों/सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के नियमित सेवारत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के चयन हेतु विचार किया जायेगा।
2. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 09 होगी।
3. राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पात्र प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के चयन हेतु निम्नवत् चयन समिति गठित की जायेगी :-

राज्य स्तरीय चयन समिति

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन | अध्यक्ष |
| 2. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन | सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन | सदस्य |
| 4. एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा नामित एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० | सदस्य सचिव |

मण्डल स्तरीय चयन समिति

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. मण्डलायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(मा०) | सदस्य सचिव |
| 3. जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |

जनपद स्तरीय चयन समिति

- | | |
|--|------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 4. उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित तहसील | सदस्य |
| 5. जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य सचिव |
| 6. जनपद के राजकीय इण्टर कालेज (बालक / बालिका) का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या | सदस्य |

A

4. प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार का चयन निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा :-

1.	ऑनलाइन आवेदन	—	15 अप्रैल से 15 मई तक
2.	जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।	—	16 मई से 15 जुलाई तक
3.	मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति के सदस्य सचिव (शिक्षा निदेशक(मा0) को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।	—	16 जुलाई से 31 जुलाई तक
4.	राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन कार्यवाही	—	01 अगस्त से 20 अगस्त तक

कोविड-19 के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय सारणी निम्नवत् होगी:-

1.	ऑनलाइन आवेदन	—	15 जुलाई से 30 जुलाई तक
2.	जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।	—	1 अगस्त से 10 अगस्त तक
3.	मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति के सदस्य सचिव (शिक्षा निदेशक(मा0) को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।	—	11 अगस्त से 17 अगस्त तक
4.	राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन कार्यवाही	—	18 अगस्त से 25 अगस्त तक

A.

5. आवेदन का माध्यम :- आन-लाइन, वेबसाइट <http://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in//>

6. अर्हताएं:-

- प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के लिए कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
- अध्यापकों के लिए 10 वर्ष नियमित सेवा अवधि मान्य होगी। (अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात् 31 मार्च को आगणित की जायेगी)

7. दिशा-निर्देश :- जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कार चयन की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

- 1) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए जनपद स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित 02 समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- 2) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मैट्रिक्स के सम्बन्ध में प्रस्तुत संगत अभिलेखों का सत्यापन जनपद स्तरीय उप समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर किया जायेगा।
- 3) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 40% निर्धारित हैं। जनपदीय उप समिति द्वारा वर्णित व्यवस्थानुसार तथा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मैट्रिक्स के सम्बन्ध में संगत अभिलेखों से सत्यापन के उपरान्त न्यूनतम अर्हकारी अंक 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जनपद स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त 03 अभ्यर्थियों के आवेदन संस्तुति सहित मण्डलीय चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा तथा मण्डलीय चयन समिति द्वारा जनपदीय चयन समिति से संस्तुत अभ्यर्थियों में से प्रत्येक मण्डल से सर्वश्रेष्ठ 02 अभ्यर्थियों की संस्तुति सहित आवेदन राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा।
- 4) नियमित सेवावधि का विवरण, प्रथम नियुक्ति तिथि सहित कुल अध्यापन अवधि का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जायेगा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- 5) प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के लिए विद्यालय से सम्बन्धित सभी कक्षाओं की छात्र संख्या तथा विगत 03 वर्षों का बोर्ड परीक्षाफल, उनके द्वारा अध्यापित विषय का परीक्षाफल एवं अध्यापित विषय पर नवीनतम शोध इत्यादि का विवरण एवं अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पर

A.

आवेदन-पत्र के साथ आन-लाइन अपलोड किया जायेगा। संबंधित शिक्षकगण द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में अधिकतम 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया जायेगा। कोई भी अभिलेख ऑफ-लाइन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- 6) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज के संचालित परीक्षाओं में यदि डिबार किया गया है अथवा विभाग द्वारा किसी प्रकरण में दण्डित किया गया हों अथवा उनके कार्यों के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो, तो राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु अनर्ह माना जायेगा।
- 7) प्रत्येक प्रकरण के साथ जनपदीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं संस्तुति अध्यक्ष तथा सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम की मुहर सहित प्रेषित की जाय। बैठक की कार्यवाही का विधिवत कार्यवृत्त बनाया जाये तथा सील्ड कवर में रखकर मण्डलीय चयन समिति को प्रेषित किया जाय। इसी प्रकार मण्डलीय चयन समिति द्वारा भी बैठक की कार्यवाही का विधिवत कार्यवृत्त बनाया जाय तथा सील्ड कवर में रखकर राज्य चयन समिति को प्रेषित किया जाय।
- 8) जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कारों की संस्तुतियां करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है। यदि पूर्व में कोई वाद प्रचलित रहा हो तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक से न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उत्तम ख्याति इत्यादि का भलीभांति परीक्षण अवश्य कर लिया जाय। विवादित अथवा संदिग्ध चरित्र के अध्यापक का चयन किसी भी दशा में नहीं किया जाय। प्रतिकूल सूचना पाये जाने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।
- 9) जनपदीय चयन समिति द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के सम्बन्ध में चरित्र रात्यापन, सामान्य ख्याति तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल०आई०यू०) से जाँच कराकर जाँच आख्या सहित आवेदन मण्डलीय चयन समिति को प्रेषित किया जायेगा, जिसे मण्डलीय चयन समिति द्वारा राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा।
- 10) जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी 03 अभ्यर्थियों की संस्तुतियों में से मण्डलीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक मण्डल से 02 अभ्यर्थियों के

नाम संस्तुत करते हुए समस्त अभिलेखों का पुनर्सत्यापन कराकर राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा।

- 11) सम्पूर्ण सेवावधि की गोपनीय आख्याओं की प्रविष्टियों को मूलरूप में देखने के उपरान्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय।
- 12) प्रधानाचार्य के संबंध में इस बात की जांच कर प्रमाण दिया जाय कि विद्यालय अभिभावक-शिक्षक संघ द्वारा प्राप्त धन का नियमानुसार विनियोग किया जा रहा है अथवा नहीं? मदवार निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है अथवा अधिक? यदि शुल्क में अनियमितता पायी गई हो अथवा जांच प्रचलित है, तो उनके नाम पर विचार न किया जाय।
- 13) प्रत्येक मूल्यांकन मानक के सम्बन्ध में संगत अभिलेख/प्रमाण-पत्र आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किया जाये।
- 14) राजकीय विद्यालयों के आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जायेगे तथा शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। इसी प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- 15) आवेदन के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित करने के उपरान्त ही जनपदीय चयन समिति के समक्ष रखा जाये।
- 16) जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य चयन समिति द्वारा पुरस्कारों के चयन में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायेगी।
- 17) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में जनपदीय/मण्डलीय चयन समिति द्वारा संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक को राज्य चयन समिति के समक्ष अपने उत्कृष्ट कार्यों के सम्बन्ध में 05 मिनट का साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण (Digital Presentation) किया जायेगा।
- 18) राज्य चयन समिति द्वारा साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण देखने के उपरान्त मूल्यांकन कर योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक का पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।

8. राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक का मूल्यांकन भौतिक सत्यापनोपरान्त निम्नांकित मूल्यांकन सारिणी के आधार पर किया जायेगा :-

Dr.

प्रधानाचार्य के लिए मूल्यांकन मानक

क्रम	मानक	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
शिक्षण एवं कक्षा प्रबन्धन			कुल अंक-25
1	आवेदित शैक्षिक वर्ष में विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु कार्यदिवस:- 220 या अधिक कार्यदिवस 201 से 219 कार्यदिवस	उपस्थिति पंजिका	2
2	1) विगत 3 वर्ष की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार करना- 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की छात्र प्रोफाइल	8
	2) विगत 02 वर्ष का मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर छात्र प्रोफाइल अपडेट करना- 2 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	अपडेटेड छात्र प्रोफाइल (त्रैमासिक)	
	3) कक्षावार/विषयवार बच्चों का उनकी अधिगम स्तर के अनुसार वर्गीकरण करना-1 अंक	शिक्षक डायरी	
	4) उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) व्यवस्था-1 अंक	पाठ योजना	
	5) कक्षा में टी0एल0एम0 (Teaching Learning Material) एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्रियों का उपयोग-1 अंक	फोटो/वीडियो	
3	1) विगत 3 वर्ष की शिक्षक डायरी-3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की शिक्षक डायरी	12
	2) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के प्रत्येक इकाई की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-9 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
	3) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के दो तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-6 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
	4) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के एक तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
4	"स्वयं" पोर्टल अथवा किसी अन्य अध्यापक प्रशिक्षण मंच से प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र	3

An

विद्यालय प्रबन्धन			कुल अंक-36
1	विद्यालय परिसर की साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण	फोटोग्राफ/वीडियो	2
2	सुविधाओं की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता (पेयजल तथा बालक/बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय)	फोटोग्राफ/वीडियो	2
3	विद्यार्थी उपस्थिति- अधिकतम 4 अंक 95 प्रतिशत से अधिक 91 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक 86 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक	छात्र उपस्थिति पंजिका	4
4	विद्यालय अभिलेखों का रख-रखाव।	सम्प्रेक्षक की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट एवं अनुपालन आख्या	2
5	अनुदानों का नियमानुसार उपभोग तथा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषण।	सम्प्रेक्षक की नवीनतम आडिट रिपोर्ट एवं अनुपालन आख्या	2
6	विगत 3 वर्ष में शारीरिक क्षमता संवर्द्धन की गतिविधियों का आयोजन- अधिकतम- 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	विद्यालय स्तर पर आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता का रिकार्ड	3
7	राष्ट्रीय, सामाजिक पर्वों एवं महापुरुषों की जयन्तियों का शैक्षिक पंचांग के अनुसार आयोजन- अधिकतम- 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड	3
8	शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का नियमित उपयोग।	रिकार्ड रजिस्टर	1
9	विगत 3 वर्ष में स्कूल प्रबन्ध समिति, अभिभावक-शिक्षक समिति, पुरा-छात्र सभा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्कूल अवस्थापना सुविधाओं तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास- अधिकतम-3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	धनराशि अन्तरण सम्बन्धी पास-बुक की छाया प्रति/धनराशि स्वीकृति उपलब्ध कराने के आदेश की छाया प्रति	3
10	सफल अभ्यासों (Best Practices) को लागू करना।	वीडियो/फोटोग्राफ/ राइट अप	2

A

11	विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन: - अधिकतम-5 अंक (प्रत्येक शोध तथा पुस्तक के लिए 1 अंक)	प्रकाशित शोध-पत्र तथा पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standard book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-Indian Broadcasting Network) सहित	5
12	पाठ्य-पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका, ई-कन्टेन्ट इत्यादि के विकास में योगदान- अधिकतम अंक-4 (प्रति कन्टेन्ट 1 अंक)	किसी शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तक, शिक्षक हस्तपुस्तिका, ई-कन्टेन्ट	4
13	विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन -अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट	3
विद्यालय प्रदर्शन			कुल अंक-34
1)	आवेदित वर्ष में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल तथा इण्टर की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल- अधिकतम 5 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1/3 अंक) 95 प्रतिशत से अधिक -5 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत -3 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत -2	बोर्ड परीक्षाफल	5
2)	(क) विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करना (अधिकतम 3 अंक) प्रथम स्थान-3 अंक द्वितीय स्थान-2 अंक तृतीय स्थान-1 अंक	बोर्ड परीक्षाफल की मेरिट सूची	3
2)	(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष में	बोर्ड परीक्षाफल	5

A

उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल (अधिकतम 5 अंक) :- I. 25 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी डिक्टेन्शन (विशेष योग्यता)-5 अंक II. 50 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) -4अंक III. 40 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) -3 अंक IV. 30 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) - 2 अंक V. 20 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) -1 अंक	की मेरिट सूची	
3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थी का चयन-अधिकतम 3 अंक	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	3
1) माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना-अधिकतम अंक-6 राष्ट्रीय स्तर-6 अंक राज्य स्तर-4 अंक मण्डल स्तर-3 अंक जनपद स्तर-1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	6
2) माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना-अधिकतम अंक-3 राष्ट्रीय स्तर-3 अंक राज्य स्तर-2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	3
1) माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया जाना-अधिकतम 6 अंक राष्ट्रीय स्तर-6 अंक राज्य स्तर- 4 अंक मण्डल स्तर-3 अंक जनपद स्तर-1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	6
2) विभागीय एवं अन्तर्विभागीय प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा राष्ट्रीय, एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जाना। (अधिकतम अंक-3) राष्ट्रीय स्तर-3 अंक राज्य स्तर-2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	3

A.

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण		कुल अंक-5
	विषय ज्ञान तथा विद्यालय संचालन की दक्षता	2
	अभिव्यक्ति की योग्यता	2
	व्यक्तित्व परीक्षण	1

अध्यापक के लिए मूल्यांकन मानक

क्रम	मानक	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
शिक्षण एवं कक्षा प्रबन्धन			कुल अंक-25
1	आवेदित शैक्षिक वर्ष में विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु कार्यदिवस:- 220 या अधिक कार्यदिवस — 2 201 से 219 कार्यदिवस — 1	उपस्थिति पंजिका	2
2	1) विगत 3 वर्ष की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार करना- 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्षों की छात्र प्रोफाइल	8
	2) विगत 02 वर्ष का मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर छात्र प्रोफाइल अपडेट करना- 2 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	अपडेटेड छात्र प्रोफाइल (त्रैमासिक)	
	3) कक्षावार/विषयवार बच्चों का उनकी अधिगम स्तर के अनुसार वर्गीकरण करना-1 अंक	शिक्षक डायरी	
	4) उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) व्यवस्था-1 अंक	पाठ योजना	
	5) कक्षा में टी0एल0एम0 (Teaching Learning Material) एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्रियों का उपयोग-1 अंक	फोटो/वीडियो	
3	1) विगत 3 वर्ष की शिक्षक डायरी-3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की शिक्षक डायरी	12
	2) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के प्रत्येक इकाई की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-9 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
	3) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के दो तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-6 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	

A.

	4) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के एक तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग-3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
4	"स्वयं" पोर्टल अथवा किसी अन्य अध्यापक प्रशिक्षण मंच से प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र	3
शैक्षिक प्रबन्धन			कुल अंक-34
1	कक्षा-कक्ष की साफ-सफाई एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सीखने-सिखाने की सामग्री का प्रदर्शन	पाठ योजना / फोटोग्राफ / वीडियो	2
2	शैक्षिक पंचांग एवं विद्यालय समय सारिणी के अनुसार पठन-पाठन - अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	पाठ योजना	3
3	अध्यापित विषय में विद्यार्थियों की उपस्थिति :- 95 प्रतिशत से अधिक — 4 91 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक — 3 86 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक — 2 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक — 1	छात्र उपस्थिति पंजिका	4
4	विगत 3 वर्ष में विद्यार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-उपस्थिति पंजिका, गृह परीक्षा आदि का रख-रखाव - अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	छात्र प्रोफाइल / उपस्थिति पंजिका व परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख	3
5	शैक्षिक पंचांग के अनुसार राष्ट्रीय, सामाजिक पर्व एवं महापुरुषों की जयन्तियों के आयोजन में योगदान - अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड	3
6	विद्यालय में बाल सभा/छात्र समितियों गठन एवं कार्यक्रम का आयोजन - अधिकतम 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड	1
7	स्कूल प्रबन्ध समिति, अभिभावक-शिक्षक समिति एवं पुरा-छात्र सभा का गठन एवं नियमित बैठक/सम्मेलन में सहभागिता तथा उनके माध्यम से स्कूल अवस्थापना सुविधाओं तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास - अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक सफल अभ्यास के लिए 1 अंक)	धनराशि अन्तरण सम्बन्धी पास-बुक की छाया प्रति/धनराशि स्वीकृति उपलब्ध कराने में आदेश की छाया प्रति/रिकार्ड रजिस्टर एवं कार्यवृत्त	3

A.

8	सफल अभ्यासों (Best Practices) का प्रयोग— अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक सफल अभ्यास के लिए 1 अंक)	राइटअप/वीडियो/फोटोग्राफ	3
9	विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन: — अधिकतम-5 अंक (प्रत्येक शोध तथा पुस्तक के लिए 1 अंक)	प्रकाशित शोध-पत्र तथा पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN- International standard book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN- Indian Broadcasting Network) सहित	5
10	पाठ्य-पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका, ई-कन्टेन्ट इत्यादि के विकास में योगदान— अधिकतम अंक-4 (प्रति कन्टेन्ट 1 अंक)	किसी शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तक, शिक्षक हस्तपुस्तिका, ई-कन्टेन्ट	4
11	विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण एवं प्रोजेक्ट कार्य में सहभागिता—अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	शैक्षिक भ्रमण एवं प्रोजेक्ट कार्य का रिकार्ड	3
प्रदर्शन आधारित			कुल अंक-36
1	1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में अध्यापित विषय का विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल—अधिकतम 7 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1/3 अंक) 95 प्रतिशत से अधिक — 5 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत — 3 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत — 2	बोर्ड परीक्षाफल	7
	2) (क) अध्यापित विषय में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा में जनपद एवं राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करना—अधिकतम 3 अंक प्रथम स्थान-3 अंक द्वितीय स्थान-2 अंक, तृतीय स्थान-1 अंक	बोर्ड परीक्षाफल की मेरिट सूची	3
	(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० प्रयागराज की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल (अधिकतम 5 अंक)	बोर्ड परीक्षाफल	5

A

	I. 50 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में) -4 अंक II. 40 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)-3 अंक III. 30 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)-2 अंक IV. 20 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)-1 अंक		
	3) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थी का चयन-अधिकतम 3 अंक	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	3
2	1) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी छात्र/समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना-अधिकतम 6 अंक :- राष्ट्रीय स्तर- 6 अंक, राज्य स्तर- 4 अंक, मण्डल स्तर- 3 अंक जनपद स्तर- 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	6
	2) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी छात्र/समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना-अधिकतम 3 अंक :- राष्ट्रीय स्तर-3 अंक राज्य स्तर-2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	3
3	1) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना-अधिकतम अंक-6 राष्ट्रीय स्तर- 6 अंक, राज्य स्तर- 4 अंक, मण्डल स्तर- 3 अंक जनपद स्तर- 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	6

A.

	2) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रश्नोत्तरी (विवर्ज), वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना-अधिकतम अंक-3 राष्ट्रीय स्तर-3 अंक राज्य स्तर-2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण-पत्र	3
साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण			कुल अंक-5
1	विषय/सामान्य ज्ञान		2
2	अभिव्यक्ति की योग्यता		2
3	व्यक्तित्व परीक्षण		1

JK